न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 83/2016 निर्णय दिनांक :– 23.9.20

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर

––वादी

बनाम

लक्ष्मी नारायण पुत्र कानाराम मीणा निवासी हीरावाला तह बस्सी जिला जयपुर

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया कि तहसील कोटखावदा पटवार मण्डल बापूगांव के ग्राम भगवतसर कांकरिया के आ.ख.न 194 रकबा 0.93 है0 की भूमि श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र कानाराम मीणा निवासी हीरावाला तह बस्सी जयपुर जिला जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सम्वत 1 से 2074 संलग्न है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का बापूगांव अप्रार्थीग । द्वारा ख.न 194 रकबा 0.93 है0 किस्म बारानी'2 जो कृषि भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त भूमि कृषि प्रयोजन हेतु होती है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सपरिवर्तन कराये उक्त ख.न 194 रकबा 0.93 है0 का ईट भटटा की ईटे का कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरूद्ध है। ख.न 194 रकबा 0.93 है0 का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। प्रथम दृष्टया केश व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णीनिय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य में सम्भव नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम भगवतसर कांकरिया के ख.न 194 रकबा 0.93 है0 किस्म बारानी 2 मे से सम्पूर्ण 0.93 है0 अर्थात 9300 वगमीटर की खातेदरी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त ख.न 194 रकबा 0.93 है0 रकबा सिवायचक सरकार घोषित किया जावें तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जेराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करें। पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र 177 काश्तकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध पेश किये जाने पर अप्रार्थी हाजीर नही आने व पुन मौका रिपोर्ट ली जाकर दिनांक 14.05.2018 को वादग्रस्त भूमि को सिवायचक घोषित किया जाकर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाने पर अप्रार्थी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहॉ अपील किये जाने पर राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा अपील स्वीकार करते हुये न्यायालय हाजा निर्णय दिनांक 14.05.18 का निरस्त किया जाकर पुनः प्रकरण नम्बर पर लिया जाकर अप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ पत्रावली भिजवाये जाने पर प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जारी की गयी व जवाब सरकार हेतु लिखा गया तो अप्रार्थी की तरफ से अमित बाहेती एडवोकेट वकालत नामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया गया कि प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि वाके ग्राम भगवतसर कांकरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 194 रकबा 0.93 है0 किस्म बरानी के बाबत् तहसीलदार तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर द्वारा बिना दिनांकित एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के इट भटटा का कार्य हेतु प्रयोग कर कृषि उपयोग किया जा रहा है। इसलिए खातेदारी अधिकार समाप्त कर सिवायचक घोषित किया जाकर कब्जे राज लेने के आदेश प्रदान करें। उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को सबूत व सुनवाई का मौका दिये बिना तहसीलदार कोटखावदा से रिपोर्ट तलब किये जाने बाबत पत्र जारी किया गया। उक्त पत्र के आधार पर रिपोर्ट तलब किये जाने बाबत पत्र जारी किया गया। उक्त पत्र के आधार पर हल्का पटवारी बापूगांव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार मानते हुये श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

14.05.2018 को निर्णय पारित कर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 194 को सिवायचक घोषित कर बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त निर्णय दिनांक 14.05.2018 से पीडित होकर यह प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकरण जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकरण जयपुर द्वारा दिनांक 08.05.2019 को निर्णय पारित कर श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2018 को पारित निर्णय को निरस्त कर उक्त प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु श्रीमान न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। श्रीमान न्यायालय ने जो रिपोर्ट तहसीलदार कोटखावदा से प्राप्त की गई है, रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नही कर उसके अधीनस्थ हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई है जो कि श्रीमान न्यायालय के आदेश के विपरीत है जो कि कानूनन पढी जाने योग्य नही है। प्रार्थी ने ईट भटटा स्थापित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के सक्षम उक्त भूमि का संपवितर्न करवाने बाबत विधिक कार्यवाही की गई तथा चालान संख्या 438 दिनांक 25.02.2011 के माध्यम से 88,300/—रूपये (अठयासी हजार ती सो रूपये) मात्र जमा कराये गये। इस प्रकार विगत 10 वर्ष से प्रार्थी की भूमि पर ईट भटटा संचालित है। उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुय भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। जहां कृषि उपयोग किया जाता है परन्तु प्रार्थी खातेदार द्वारा उक्त गैर कृषि उपयोग के संबध में विधिक रूप से सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन किया गया है। उक्त आवेदन के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन शुल्क भी जमा करवाया गया व राजस्थान सरकार खनिज अभियंता जयपुर द्वारा परमिट भी जारी किया गया। श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2018 को प्रार्थी की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

है। जो कि ख.न 194 में मौके पर ईट भटटे की एक चमनी बनी हुयी है, शेष रकबा मोके पर पडत है वर्तमान में ईट भटटा बन्द है। तहसीलदार चाकसू की रिपोर्ट अनुसार राजस्व लेखा के दैनिक भू–राजस्व प्राप्ति चालानवार दर्ज इरसाल पंजिका वर्ष 2010–2011 में गांव भगवतसर कांकरिया में दिनांक 25.02.2011 का चा.न 438 द्वारा 88300/– जमा हुये है। पुनः तहसीलदार कोटखावदा से जमा राशि के सबन्ध में विस्तृत रिपोर्ट ली गयी तो तहसीलदार कोटखावदा ने पत्र कमांक 96 दिनांक 08.09.2020 के द्वारा चालान न 438 दिनांक 28.07.2011 के द्वारा राशि 86300 रूपये मद 0029–00–800–02 ईट भटटा रूपान्तरण शुल्क 2090 वर्गफीट जमा हुये है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस अप्रार्थी वकील की सुनी गयी तो अप्रार्थी वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि जवाब सरकार के अनुसार प्रार्थना पत्र 177 का खारिज फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार का जवाब सरकार का परीक्षण किया गया तो प्रार्थी ने ईट भटटा स्थापित करने सक्षम प्राधिकारी क समक्ष उक्त वादग्रस्त भूमि का संपरिवर्तन करवाने बाबत विधिक कार्यवाही की गयी, एवमं तहसीलदार कि रिपोर्ट अनुसार चालान नं 438 दिनांक 28.07.2011 के द्वारा राशि 88300/– रूपये मद 0029–00–800–02 ईट भटटा रूपान्तर शुल्क 2090 वर्गमीटर बाबत् जमा हुये है एवं राजस्थान सरकार खनिज अभियन्ता जयपुर द्वारा परमिट भी जारी किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी वादग्रस्त भूमि को सपरिवर्तन कराने हेतु विधिक प्रकिया अपनाते हुये वादग्रस्त भूमि का ईट भटटे के उपयोग किया जा रहा जो नियमानुसार सपरिवर्तन शुल्क जमा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)